



HAPUR POLICE



OPERATION CONVICTION

हापुड़ पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी, सशक्त पैरवी करते हुए मारपीट करने के अभियोग में एक अभियुक्त को 04 वर्ष का साधारण कारावास व 6,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित कराया गया।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अन्तर्गत आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाए जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए आज दिनांक 18.08.2025 को मा0 न्यायालय के द्वारा “मारपीट” के अभियोग में एक अभियुक्त को दंडित कराया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है-

- दिनांक 14.08.2016 को अभियुक्त प्रशान्त उर्फ काकू पुत्र सुरेशचन्द्र निवासी मौ0 ब्रह्मापुरी थाना हापुड़ देहात जनपद हापुड़ द्वारा वादी के साथ मारपीट की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना हापुड़ देहात पर मु0अ0सं0 349/2016 धारा 323, 326 भादवि पंजीकृत किया गया था तथा दिनांक 24.09.2016 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।
- आज दिनांक 18.08.25 को अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय ACJM हापुड़ द्वारा 04 वर्ष का साधारण कारावास व 6,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।
- अभियोजन विभाग से श्री सुनील जी (शासकीय अधिवक्ता) व विवेचक उ0नि0 श्री अंगद सिंह एवं पैरोकार का0 दीपक व कोर्ट मोहर्नर है0का0 मनीपाल सिंह का विशेष योगदान रहा।

